न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–311/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/505)

ग्रामवासी, ग्राम–बासना तहसील बानसूर जिला अलवर जरिये जन प्रतिनिधि, ग्राम बासना :–

1. दिनेश कुमार पुत्र पांचूराम
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामफल
3. जगराम पुत्र मोहर सिंह
4. सतपाल पुत्र ताराचन्द
5. रामोवतार पुत्र रामस्वरूप (पूर्व सरपंच) ग्राम पंचायत बासना
6. महेश कुमार छीतर, समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बासना, तहसील बानसूर जिला अलवर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी बानसूर, तहसील बानसूर जिला अलवर (राज.)
2. तहसीलदार, बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर। (राजस्थान)
3. पटवारी हल्का, बासना बानसूर, तहसील बानसूर जिला अलवर। (राज.)

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री हेमन्त दीक्षित, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल एडवोकेट रेस्पोडेन्ट की ओर से**

दिनांकः– 20.09.2024

निर्णय

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 18.09.2023 को प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रार्थीगण–अपीलान्ट विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 226 ग्राम बासना तहसील बानसूर जिला अलवर का सार्वजनिक रूप से उपभोग व उपयोग करते आ रहे हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर ने अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी कतई कोई ध्यान नही दिया गया कि नया रास्ता दर्ज करने का धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में तहसीलदार को एवं धारा 251 (ए) राज0 टिनेन्सी एक्ट में उपखण्ड अधिकारी को सभी खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने पर अधिकार प्राप्त है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने प्रकरण को सही एवं वास्तविक तथ्यों को

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

समझे बिना ही केवल तहसीलदार बानसूर के प्रस्ताव पर जिसमें संबंधित ग्राम पंचायत की कोई अनापत्ति भी नहीं ली गई थी तथा न ही विवादित भूमि की मौका स्थिति की कोई सही एवं वास्तविक रिपोर्ट ही ली गई तथा न ही अपीलान्टस (ग्रामवासियों) को सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया गया था, के बावजूद ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि पर पूर्व से ही आने जाने का रास्ता उपलब्ध होते हुए भी गैर कानूनी रूप से किन्ही विशिष्ट व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से खसरा नम्बर 226 स्थित ग्राम बासना तहसील बानसूर जिला अलवर में अवैध रूप से नया रास्ता कायम करने का गैर कानूनी आदेश जैर अपील पारित किया है जो सरासर कानून के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञा जैर अपील पारित करने से पूर्व लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 57 से 60 तथा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सन् 2016 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 में कही भी यह प्रावधान नही दिये है कि किसी भी काबिज प्रभावित पक्षकारों को बिना कोई नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही उसकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त अथवा सार्वजनिक हित की भूमि को राजस्व रिकार्ड व नजरी नक्शें में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया जावें तथा मौके पर रास्ता चालू कर दिया जावें। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 सरासर कानून के विपरित एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में स्पष्ट अंकित किया गया है जिला कलक्टर द्वारा जिले में सम्पादित रास्तों सम्बन्धी कार्यो की प्रगति की समीक्षा सप्ताहिक तौर पर किया जाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जिला कलक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि दिनांक 15.12.2016 के बाद उनके जिलें में रास्ते सम्बन्धी कोई समस्या लम्बित एवं शेष नही है। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलक्टरों को पाबन्द किया गया कि वे रास्ते सम्बन्धी समस्त कार्यवाही दिसम्बर 2016 से पूर्व पूर्णकर ले लेकिन उक्त प्रकरण में सात साल बाद रास्ते सम्बन्धी कार्यवाही की गई है जो अपने आप में ही संदेहस्पद है। अपीलान्ट प्रार्थीगण को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.05.2023 को उस समय हुई, जबकि तहसील के कर्मचारीगण मौके पर रास्ता निकालने पहुंचे, तब उन्होनें कहा कि तुम्हारी भूमि में उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के न्यायालय से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करके मौके पर चालू करने के आदेश हुए हैं, इसलिये रास्ता चालू कराया जा रहा है तथा राजस्व रिकार्ड व नक्शे में उक्त खसरा नम्बर 226 रास्ता ही रहेगा। जिस पर अपीलान्ट ने उसी दिन बानसूर जाकर अपने अभिभाषक से सम्पर्क करके उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर के न्यायालय में जाकर प्रकरण की जानकारी करते हुये निर्णय, नक्शे आदि दस्तावेजात की प्रमाणित नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया तथा आगे की कार्यवाही की। अपील जानकारी व नकल प्राप्ति की तिथी से अंदर मियाद शुमार की जाकर मैरिट (गुणावगुण) पर निर्णित फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर ने निर्णय जैर अपील दिनांक 04.03.2022 द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट ग्रामवासियों के हित की सार्वजनिक भूमि खसरा नम्बर 226 में राजस्व

रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर मौके पर चालू करने का एक पक्षीय आदेश अपीलान्ट्स को सुने बिना ही पारित कर दिया, जिससे अपीलान्ट्स प्रभावित एवं एग्रीव्ड (व्यक्ति) पक्षकार है इसलिये अपीलार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 96 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन है कि प्रार्थीगण–अपीलान्टस को आज्ञा जैर अपील से पीडित एवं व्यथित पक्षकार होने के कारण न्यायहित में उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान करें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 पारित किया है जो विधि'विधान एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2022 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार भूमि विवादग्रस्त का दिनांक 21.12.2021 को मौका पर्चा बनाया गया है जिसके अनुसार भूमि विवादग्रस्त में उक्त रास्ता वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के अनुसार सिवायचक में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरान में से रास्ता कच्चा के रूप में दर्ज है एवं कदीमी रूप से चालू एवं स्थाई प्रकृति का है। यह रास्ता नरेगा के तहत चालू रास्ते के तहत निर्मित है। यह रास्ता खसरा नम्बर 226 से जाता है, जिसके संदर्भ में उक्त रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भिजवाये गये है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि हस्तगत प्रकरण सार्वजनिक आम रास्ते से सम्बन्धित है तथा अपीलार्थीगण आमजन (ग्रामीण) है। जो रास्ते सम्बन्धी प्रकरणों में प्रथम दृष्टया प्रभावित पक्षकार प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है एवं अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील/प्रार्थना पत्रादि प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को क्षमा किया जाता रहा है। ऐसे में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य के मद्देनजर अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है भूमि विवादग्रस्त का दिनांक 21.12.2021 को मौका पर्चा पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का द्वारा बनाया गया है जिसमें उन्होने स्पष्ट रूप से अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्राम बासना के ख.नं. 226 का मौका निरीक्षण किया गया। खसरा नम्बर 226 वाके ग्राम बासना वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के अनुसार सिवायचक दर्ज है। उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स ग्रामवासियों, ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्राप्त नहीं की गयी है। प्रकरण

में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पूर्ण पालना किया जाना भी पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर भी कोई विवेचन/विमर्श नहीं किया गया कि जब पूर्व में ही सार्वजनिक रास्ता वादग्रस्त भूमि हेतु उपलब्ध है तो नवीन रास्ता कायम किये जाने का क्या आधार है। पत्रावली में संलग्न गुगल शीट में वादग्रस्त भूमि हेतु पूर्व में रास्ता विद्यमान होना दृष्टिगोचर है। प्रकरण में पूर्व में ही रास्ता उपलब्ध होने पर नवीन रास्ता कायम करने से किसी पक्षकार को व्यक्तिगत लाभ तो नहीं हो रहा बाबत कोई विवेचन भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 न्याय के प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उचित नही ठहराया जा सकता तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.03.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का एवं साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाकर एवं पुराना रास्ता पूर्व से चालू स्थिति में उपलब्ध है तो नया रास्ता कायम करने के तथ्यों पर विचार कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति संभागीय आयुक्त
जयपुर।